

30/5/19

पञ्जावली पेशा छुई। वकील वादीगण व स्वयं वादीगण/ हाजीर नही। बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाते पर भी नही वकील वादीगण हाजीर नही वादीगण स्वयं हाजीर। अतः 9 वा सी.सी.ओ. दिनांक 9/5/19 को अन्तिम आदेश के अन्तर्गत आदेशों को अन्तिम आदेशों के अन्तर्गत किया जाता है। पञ्जावली के अन्तर्गत अन्तिम आदेश नम्बर 10/19 है व 11/19 अन्तिम आदेश है।

एग्रेड
उपखण्ड अतिरिक्त
जयपुरवादी (सुधु)